# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

धानौं रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज के निकट रायपुर, देहरादून–248008

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in E- mail: chayanayog@gmail.com

विज्ञापन संख्या: 85 / उ0अ0से0च0आ0 / 2026 दिनांक: 25 नवम्बर, 2026

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों के अंतर्गत वर्दीधारी उप निरीक्षक (समूह 'ग') के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

| | |
|---|---|
| विज्ञापन प्रकाशन की तिथि | 25 नवम्बर, 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि | 01 दिसम्बर, 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि | 31 दिसम्बर, 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अवधि | 04 जनवरी 2027 से 06 जनवरी, 2027 तक |
| लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनन्तिम तिथि | 18 अप्रैल, 2027 |

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस(पुरूष / महिला), उप निरीक्षक अभिसूचना(पुरूष / महिला), प्लाटून कमाण्डर(पुरूष) पीएसी / आईआरबी, उप आबकारी निरीक्षक (समूह 'ग') के **कुल 200 रिक्त पदों** पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल के प्रमाण–पत्र के साथ–साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उपश्रेणी के प्रमाण–पत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण–पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे। रिक्त पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

| क्र0सं0 | पदनाम / विभाग का नाम | वेतनमान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष / महिला) (उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) | रू0 44,900–रू0 1,42,400 (लेवल–07) | 93 |
| 2 | उप निरीक्षक अभिसूचना (पुरूष / महिला) (उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) | | 19 |
| 3 | प्लाटून कमाण्डर (पुरूष) पीएसी / आईआरबी (उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) | | 81 |
| 4 | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) | | 05 |
| 5 | उप आबकारी निरीक्षक (आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 29,200–रू0 92,300 (लेवल–05) | 02 |
| योग | | | 200 |

03. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया 02 चरणों में पूर्ण की जाएगी। प्रथम चरण में शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली–2025 यथासंशोधित 2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार ली जाएगी। सफल घोषित अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय Offline प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।

04. अभ्यर्थी शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड तथा लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

05. पदों का विवरणः– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित नियोक्ता विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष ऊर्ध्व व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार/उपश्रेणी की संख्या घट/बढ़ सकती है। विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

A- पदनाम– <u>उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उप निरीक्षक अभिसूचना</u> <u>कुल पद–112</u>

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः–

| क्र0 सं0 | पदकोड | पदनाम/विभाग का नाम | आरक्षण श्रेणी | रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उत्तराखण्ड की महिला | स्वo सैo के आश्रित | भूतपूर्व सैनिक | अन्य | उत्तराखण्ड के मूल निवासी | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विक्षिप्त आन्दोलनकारी या उनके आश्रित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 446/701/85/2026 | उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला) (उत्तराखण्ड पुलिस) | अ0जा0 | 11 | 03 | – | – | – | – | 01 |
| | | | अ0ज0जा0 | 08 | 02 | – | – | – | – | 01 |
| | | | अ0पि0व0 | 13 | 04 | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | अ0क0व0 | 09 | 03 | – | – | – | – | 01 |
| | | | अना0 | 52 | 15 | 01 | 03 | 03 | 02 | 05 |
| | | | योग | 93 | 27 | 01 | 04 | 04 | 03 | 09 |
| 2 | 446/702/85/2026 | उप निरीक्षक अभिसूचना (पुरुष/महिला) (उत्तराखण्ड पुलिस) | अ0जा0 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | अ0ज0जा0 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | अ0पि0व0 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | अ0क0व0 | 04 | 01 | – | – | – | – | – |
| | | | अना0 | 15 | 04 | – | – | – | – | 01 |
| | | | योग | 19 | 05 | – | – | – | – | 01 |
| कुल योग– | | | | 112 | 32 | 01 | 04 | 04 | 03 | 10 |

(ii) वेतनमानः– रू0 44,900–रू0 1,42,400 (लेवल–07)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 35 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) <u>शैक्षिक अर्हताः–</u>

(a) अनिवार्य अर्हता:–

1. अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

2. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।

(b) अधिमानी अर्हताएं:– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

8- पदनाम:– प्लाटून कमाण्डर (पुरूष) पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ कुल पद–81

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:–

| क्र० सं० | एडकोड | पदनाम/विभाग का नाम | आरक्षण श्रेणी | रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | क्ष० सं० सै० के आश्रित | भूतपूर्व सैनिक | अन्यत्र | उत्तराखण्ड के मूलनिवासी | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विक्षिप्त आन्दोलनकारी या उनके आश्रित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 648/353/85/2028 | प्लाटून कमाण्डर (पुरूष) (पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ) (उत्तराखण्ड पुलिस) | अ0जा0 | 14 | – | 01 | 01 | 01 | 02 |
| | | | अ0ज0जा0 | 03 | – | – | – | – | – |
| | | | अ0पि0व0 | 12 | – | 01 | 01 | – | 01 |
| | | | अ0क0व0 | 09 | – | – | – | – | 01 |
| | | | अना0 | 43 | 01 | 02 | 02 | 02 | 04 |
| | | | योग | 81 | 01 | 04 | 04 | 03 | 08 |

(ii) वेतनमान:– रू0 44,900–रू0 1,42,400 (लेवल–07)

(iii) आयु सीमा:– 21 वर्ष से 35 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:– अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:–

(a) अनिवार्य अर्हता:–

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

2. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।

(b) अधिमानी अर्हताएं:– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

C- पदनाम:- **अग्निशमन द्वितीय अधिकारी** **कुल पद-05**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

| क्र0 सं0 | पदकोड | पदनाम/विभाग का नाम | आरक्षण श्रेणी | रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उत्तराखण्ड की महिला | स्वा0सं0 सेo के आश्रित | भूतपूर्व सैनिक | अन्यत्र | उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विधित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 040/022/05/2020 | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (उत्तराखण्ड पुलिस) | अ0जा0 | 02 | — | — | — | — | — | — |
| | | | अ0ज0जा0 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | अ0पि0व0 | 01 | — | — | — | — | — | — |
| | | | अ0आ0व0 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | अना0 | 02 | 01 | — | — | — | — | — |
| | | | योग | 05 | 01 | — | — | — | — | — |

(ii) वेतनमान:- रू0 44,900-रू0 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 35 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि।

2. बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 06 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाएगा।

3. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

D- पदनाम:- **उप आबकारी निरीक्षक** **कुल पद-02**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

| क्र0 सं0 | पदकोड | पदनाम/विभाग का नाम | आरक्षण श्रेणी | रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उत्तराखण्ड की महिला | स्वा0सं0 सेo के आश्रित | भूतपूर्व सैनिक | अन्यत्र | उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विधित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 784/705/05/2020 | उप आबकारी निरीक्षक (आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड) | अ0जा0 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | अ0ज0जा0 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | अ0पि0व0 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | अ0आ0व0 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | अना0 | 02 | — | — | — | — | — | — |
| | | | योग | 02 | — | — | — | — | — | — |

(ii) वेतनमानः– रू0 29,200–रू0 92,300 (लेवल–05)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

(a) अनिवार्य अर्हताः–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(b) अधिमानी अर्हताएंः– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

06. शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्डः–

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष / महिला), उप निरीक्षक अभिसूचना (पुरूष / महिला), प्लाटून कमाण्डर (पुरूष) पीएसी / आईआरबी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा उप आबकारी निरीक्षक के पदों हेतु शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली–2025 यथासंशोधित–2026 में निहित प्रावधानों के अनुसार ली जाएगी। अभ्यर्थी शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु परिशिष्ट–1(क), 1(ख) का अवलोकन करें।

नोटः–पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट हेतु क्रमशः पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपलोड तथा शारीरिक अर्हता परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

07. चिकित्सा / स्वास्थ्य परीक्षणः–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी मेडिकली फिट होने चाहिए। अभ्यर्थी की दृष्टि एक आँख में 6 / 6 और दूसरी आँख में 6 / 9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिये दाहिनी आँख के लिये 6 / 6 और बाँयें हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायीं आँख के लिये 6 / 6 होनी चाहिए। दर्ण–अन्धता / भैंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लेग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष / महिला), उप निरीक्षक अभिसूचना (पुरूष / महिला), प्लाटून कमाण्डर (पुरूष) पीएसी / आईआरबी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा उप आबकारी निरीक्षक की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्यता माना जायेगा।

टिप्पणीः– चिकित्सा बोर्ड नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइण्डनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, वेबर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण आदि समाविष्ट है, जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

08. बन्ध पत्र :–

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष / महिला), उप निरीक्षक अभिसूचना (पुरूष / महिला), प्लाटून कमाण्डर (पुरूष) पीएसी / आईआरबी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों हेतु अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल / चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र / बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण

प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये गये स्टाईपेण्ड/वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।

09. <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया:-</u>

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। **परीक्षा के पाठ्यक्रम की सूचना पृथक से दी जाएगी।**

(ii) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनारक्षित, अ0का0व0 व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

(iii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट), परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iv) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा केन्द्र में परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(v) प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न के दिये गए सही उत्तर के लिए अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक दिए गए गलत उत्तर के लिए एक चौथाई (1/4) ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही दिया जाएगा।

(viii) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(ix) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक या त्रुटिपूर्ण बुकलेट सीरीज अंकित किया जाता है अथवा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में अनुक्रमांक या बुकलेट सीरीज अंकित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

10. <u>अधिमान:-</u> लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि आयु में भी अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

i. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

ii. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

11. आयु–

उपरोक्त पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2026 है।

i. उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला), उप निरीक्षक अभिसूचना (पुरूष/महिला), प्लाटून कमाण्डर (पुरूष) पीएसी/आईआरबी तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों हेतु अभ्यर्थी को उक्त तिथि को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए तथा अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1991 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

ii. उप आबकारी निरीक्षक के पदों हेतु अभ्यर्थी को उक्त तिथि को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए तथा अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्याः 1399 दिनांक 21 मई 2005** द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्याः 6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए यह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

12. आवेदन हेतु पात्रताः–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु **निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है:–**

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

13. अनापत्ति प्रमाण–पत्रः–

केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा अभिलेख सत्यिरीक्षा के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

शासन के पत्रांक–1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

14. राष्ट्रीयता:–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

15. चरित्र:–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

16. वैवाहिक प्रास्थिति:–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

17. शारीरिक स्वस्थता:–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

18. आरक्षण:–

i. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।

ii. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 01.04.2026 से दिनांक **31.12.2026** (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत वैध EWS प्रमाण पत्र धारित करते हों।

iv. शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिए।

v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह (Unreserved Category) अनारक्षित श्रेणी की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या: 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के

अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

vii. "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह (Unreserved Category) अनारक्षित श्रेणी की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या– 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 145 / XXXVI(3) / 2026 / 30(1) / 2026 दिनांक 24 अप्रैल, 2026 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एक बार पूर्व सैनिक हेतु अनुमन्य आरक्षण के आधार पर यदि कोई पूर्व सैनिक लोक सेवाओं और पदों में नियुक्त / नियोजन प्राप्त कर लेगा, तो इसके पश्चात उसे पूर्व सैनिक के रूप में प्रदत्त आरक्षण का लाभ पुनः लोक सेवाओं और पदों में अनुमन्य नहीं होगा।

ix. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

x. "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र / पुत्री से अभिप्रेत है।

xi. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 16 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या– WP-PIL 152 / 24 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा।

शासनादेश संख्याः 139 / XX(8) / 24–27(रा0आ0) / 2018 दिनांक 24 नवम्बर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं पत्र संख्याः–172/xxxvi(3)/2025/13(1)/2025, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा 'कुशल खिलाड़ी' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो या राज्य स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले अथवा राज्य स्तर पर खेलों में पदक विजेता कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगाः–

| क्रम सं0 | प्रतियोगिता का नाम | प्रतियोगिता का स्तर | क्षैतिज आरक्षण |
|---|---|---|---|
| 1 | ओलम्पिक खेल | पदक विजेता/प्रतिभाग | लेवल–10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर |
| 2 | विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल | पदक विजेता/प्रतिभाग | लेवल–8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर |
| 3 | कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप | पदक विजेता/प्रतिभाग | लेवल–7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर |
| 4 | कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल | पदक विजेता/प्रतिभाग | लेवल–6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर |
| 5 | राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इण्डिया यूथ गेम्स | पदक विजेता | लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर |
| 6 | उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल/राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप/युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ/विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेल/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल | पदक विजेता | लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर |

परन्तु यह कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रदीप्तता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

**xiii.** कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।

**xiv.** ऑनलाइन आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण, श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, महिला, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

**xv.** यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

**नोटः– अभ्यर्थी आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट–2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण–पत्र तैयार करवायें।**

**19. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के चरणः–**




**i.** अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग करना होगा। एक आधार का उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को स्वयं के मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए।

**ii.** अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई–मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यू0के0एस0एस0एस0सी0 द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

**iii.** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।

**iv.** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग–इन के लिए आवश्यक है।

**v.** अभ्यर्थी की फोटो लाइव फोटो कैप्चर के माध्यम से खींची जाएगी। लाइव फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी का चेहरा कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य है तथा सिस्टम द्वारा फेस डिटेक्शन के माध्यम से फोटो की पुष्टि की जाएगी। फोटो स्पष्ट एवं पर्याप्त प्रकाश में होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी का चेहरा निर्धारित फ्रेम के भीतर उचित स्थिति में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) और बायोमेट्रिक पुष्टि हेतु स्पष्टतः बांए हाथ के अंगूठे का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।

**vi.** आवेदन–पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा; यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

**vii.** तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें chayanayog@gmail.com पर ई–मेल करें।

viii. यदि अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया गया शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।

ix. अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।

x. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।

xi. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।

xii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्ट–आउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करे, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

20. <u>शुल्क:–</u>

<u>अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:–</u>

| क्रमसं0 | श्रेणी | शुल्क (रू0) |
|---|---|---|
| 01 | अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 300.00 |
| 02 | उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 150.00 |
| 03 | अनाथ (ORPHAN) | 00.00 |

21. <u>अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:–</u>

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण–पत्रों/संलग्नकों के सत्यापन की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। **विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।**

(2) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(3) अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क

किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा। गलत भरे गये आवदेन–पत्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

(4) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतियारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग (F.I.R.) भी दर्ज कराया जाएगा।

(5) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयन के उपरांत अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(6) लिखित परीक्षा के पश्चात अभिलेख सत्यिरीक्षा परीक्षा का अनिवार्य अंग है, जिसमें सभी आरक्षण/शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता/अनुभव संबंधी दावे/अभिलेखों की पुष्टि की जाती है। अभिलेख सत्यिरीक्षा के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभिलेख सत्यिरीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के अतिरिक्त पृथक अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जायेंगी। अभिलेख सत्यिरीक्षा में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(7) **शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड तथा लिखित प्रतियोगी परीक्षा के उपरांत अंकों की श्रेष्ठता तथा अभ्यर्थी द्वारा पदवार/विभागवार दी गई वरीयता के आधार पर अभ्यर्थी को पद/विभाग का आवंटन किया जायेगा।**

(8) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऑनलाइन आवदेन–पत्र में संशोधन (Edit) का अवसर प्रदान किया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी को अपने नाम, माता/पिता के नाम, आयु एवं परीक्षा केन्द्र में संशोधन/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि के अक्षरों अथवा अंकों में आंशिक परिवर्तन कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरे जाते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(9) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(10) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(11) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(12) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(13) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(14) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सही नाम अंकित न करने के परिणामस्वरूप जारी त्रुटिपूर्ण प्रवेश–पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

(15) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन–पत्र, उपस्थिति सूची, अभिलेख सम्मिरीक्षा के समय तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(16) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई–मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे।

(17) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(18) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी औपबंधिक उत्तर–कुंजियों के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50/–प्रति प्रश्न की दर से अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नही होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(19) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित मे सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(20) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से वरीयता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(21) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–**168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023** दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के तात्समय लागू प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(22) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए:–

| | | |
|---|---|---|
| अ0जा0 | – | अनुसूचित जाति |
| अ0ज0जा0 | – | अनुसूचित जनजाति |
| अ0पि0व0 | – | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| अ0क0व0 | – | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| अना0 | – | अनारक्षित |

(एन0 एस0 डुगरियाल),
सचिव।

## परिशिष्ट –1(क)– शारीरिक मानक

### उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड

| इवेन्ट नाम | पदनाम/ विभाग का नाम | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस /अभिसूचना/ प्लाटून कमाण्डर/ गुल्मनायक (पी0ए0सी0/ आई0आर0बी0) (गृह विभाग) | | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (गृह विभाग) | | उपकारापाल (गृह विभाग) | | वन दरोगा (वन विभाग) | | उपनिरीक्षक (आबकारी विभाग) | | प्लाटून कमाण्डर (होमगार्ड विभाग) | | क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी (युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग) | |
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| ऊंचाई मानक (सेमी) | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>167.7<br>एस.टी. 160<br>पर्वतीय<br>162.6 | <br><br>152<br>147<br><br>147 | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>167.7<br>एस.टी. 160<br>पर्वतीय<br>162.6 | <br><br>152<br>147<br><br>147 | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>165<br>एस.टी.<br>157.5<br>पर्वतीय 160 | <br><br>152<br><br>147<br>147 | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>163<br>एस.टी. 152<br>पर्वतीय 152 | <br><br>150<br>145<br>145 | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>167.6<br>एस.टी. 160<br>पर्वतीय<br>162.6 | <br><br>152<br>147<br><br>147 | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>165<br>एस.टी.<br>157.5<br>पर्वतीय 160 | <br><br>152<br><br>147<br>147 | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>165<br>एस.टी.<br>157.5<br>पर्वतीय 160 | <br><br>152<br><br>147<br>147 |
| सीने की माप (सेमी) बिना फुलाए | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>78.8<br>एस.टी./ पर्वतीय<br>76.5 | – | सामान्य/ एस.सी. /ओ.बी.सी.<br>78.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>76.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>78.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>76.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>78.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>76.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>78.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>76.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>78.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>76.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>78.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>76.5 | – |
| सीने की माप (सेमी) फुलाने पर | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>83.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>81.5 | – | सामान्य/ए स.सी./ओ. बी.सी.<br>84.3<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>82 | – | सामान्य/ एस.सी. /ओ.बी.सी.<br>83.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>81.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>83.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>81.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>83.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>81.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>83.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>81.5 | – | सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.<br>83.8<br>एस.टी. /पर्वतीय<br>81.5 | – |

नोट:– 1. शारीरिक वजन 45 कि0ग्रा0 न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

## परिशिष्ट –1(ख)– शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड

| इवेन्ट नाम | पदनाम/ विभाग का नाम | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस /अभिसूचना/ प्लाटून कमाण्डर/ गुल्मनायक (पी0ए0सी0/ आई0आर0बी0) (गृह विभाग) | | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (गृह विभाग) | | उपकारापाल (गृह विभाग) | | वन दरोगा (वन विभाग) | | उपनिरीक्षक (आबकारी विभाग) | | प्लाटून कमाण्डर (होमगार्ड विभाग) | | क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी (युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग) | |
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| क्रिकेट बॉल थ्रो | 50 मीटर | 20 मीटर | 50 मीटर | 20 मीटर | 50 मीटर | 20 मीटर | 50 मीटर | 20 मीटर | 50 मीटर | 20 मीटर | 50 मीटर | 20 मीटर | 50 मीटर | 20 मीटर |
| लम्बी कूद | 13 फीट | 08 फीट | 13 फीट | 08 फीट | 13 फीट | 08 फीट | 13 फीट | 08 फीट | 13 फीट | 08 फीट | 13 फीट | 08 फीट | 13 फीट | 08 फीट |
| क्रिनिंग अप (पीन) | 05 बार | – | 05 बार | – | 05 बार | – | 05 बार | – | 05 बार | – | 05 बार | – | 05 बार | – |
| दौड़ व चाल | 05 किमी– 32 मिनट में | 02 किमी– 15 मिनट में | 90 मीटर (65 किग्रा वजन सहित) 01 मिनट में | 90 मीटर (45 किग्रा वजन सहित) 01 मिनट में | 05 किमी– 32 मिनट में | 02 किमी– 15 मिनट में | 25 किमी– 04 घण्टे में | 14 किमी– अधिकतम 04 घण्टे में | 05 किमी– 32 मिनट में | 02 किमी– 15 मिनट में | 05 किमी– 32 मिनट में | 02 किमी– 15 मिनट में | 05 किमी– 32 मिनट में | 02 किमी– 15 मिनट में |
| शटल रेस (25X4 मी.) | – | 30 सेकेण्ड में | – | 30 सेकेण्ड में | – | 30 सेकेण्ड में | – | 30 सेकेण्ड में | – | 30 सेकेण्ड में | – | 30 सेकेण्ड में | – | 30 सेकेण्ड में |

नोटः– सभी अभ्यर्थियों को प्रत्येक इवेन्ट में प्रतिभाग करते हुए अर्हता (Qualify) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट–2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....

सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950(जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी.....तथा / अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट /
सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट /
तहसीलदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....

सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 में अधिसूचना संख्या–22 / 16 / 92–का–2 / 1995 टी.सी. दिनांक 06 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी.....तथा / अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....

..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र**

प्रमाण–पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मोहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

i. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
ii. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट–2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या–4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....

.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपर्यंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....